□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□: 1077
18 □□□□□, 2020 □□ □□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□□□-19 के कारण प्रभावित हुए स्वास्थ्यकर्मी

1077. श्री प्रसून बनर्जीः
श्री राहुल □□□ □□□□□
श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टीः
□□□□□□ □□□प्र□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य का सरकारी और निजी अस्पतालों म काय करने वाले कोरोना से संक्रमित डॉक्टरों, पैरा-मेडिकल और अन्य अधिकारिक कमचारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कोविड ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले ऐसे लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मृतक डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य परिचया कर्मियों के परिजनों को कोई मुआवजा/रोजगार देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण ह; और

(ङ) कोरोना वायरस से डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य परिचया कर्मियों की सुरक्षा और उपचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह/उठाए जा रहे ह?

□त्त□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) और (ख) कोविड-19 से संक्रमित स्वास्थ्य परिचया कर्मियों की संख्या या जिनकी कोविड ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है ऐसे व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते ह। हालांकि, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई म लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा प्रदान किया गया है। यह एक कद्रीय स्कीम है।

इस स्कीम म स्वास्थ्य परिचया प्रदाताओं को 50 लाख रु॰ का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य परिचया प्रदाताओं म वे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल है जिन्ह कोविड-19 के रोगियों के सीधे संपक और परिचया सेवा म आना होता है और जो इसके द्वारा प्रभावित होने के जोखिम म हो सकते ह इसम कोविड-19 होने के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर भी दुघटना बीमा शामिल है।

इस स्कीम के तहत प्रदत्त बीमा लाभार्थी द्वारा लिए गए किसी अन्य बीमा कवर के अतिरिक्त होगा।

"प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा पैकेज" के अंतगत राहत ले रहे व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाता है। यह विवरण अनुलग्नक म दिया गया है।

(ग) और (घ): कोविड के परिप्रेक्ष्य म मृत्यु को प्राप्त हुए चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति/ नौकरी देने की ऐसी कोई विशिष्ट स्कीम प्रस्तावित नहीं है।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण की पद्धतियों पर दिशानिदश प्रदान किए ह। माच 2020 माह म सभी राज्यों के लिए प्रशिक्षण संचालित किया गया था। जिला स्तर तक 20 माच 2020 तक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए राज्यों को एक प्रशिक्षण-योजना संसूचित की गई थी।

संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर प्रशिक्षण सभी श्रेणियों के स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के लिए भी आइगोट प्लेटफाम पर उपलब्ध कराया गया था।

राज्य को संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण संबंधी समितियां गठित करने के लिए कहा गया था। अस्पतालों को एक नोडल अधिकारी नामोद्दिष्ट करने के लिए कहा गया था जो स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों पर नजर रखेगा और उनके संक्रमण के दुष्प्रभाव म आने की स्थिति की समीक्षा करेगा। उच्च जोखिमपूण दुष्प्रभाव म आने वाले व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रखा जाता है। ऐसे डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के दुष्प्रभाव म आने की स्थिति/ क्लीनिकल प्रोफाइल के आधार पर नोडल अधिकारी/ विभागाध्यक्ष (या उनकी नियुक्त समिति) द्वारा आगे एक सप्ताह की अवधि बढ़ाने का निणय लिया जाएगा। अस्पताल के कोविड और गैर-कोविड क्षेत्रों म कायरत स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के प्रबंधन के लिए 18 जून 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक परामर्शिका जारी की गई थी।

अस्पताल और सामुदायिक प्रतिष्ठानों (जिसम फ्रंटलाइन कर्मी भी शामिल ह) के लिए पीपीई के युक्तिसंगत प्रयोग पर दिशा-निदश 24.03.2020 को जारी किए गए थे। इन दिशानिदशों म जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है और उच्च व निम्न जोखिम वाले क्षेत्रों म प्रयोग किए जाने वाले पीपीई की किस्म की सुझाई गई है।

स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों को रोग निरोधी उपचार के लिए और संक्रमण की रोकथाम के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी गई।

एन-95 मास्कों और ट्रिपल/डबल प्लाई के मास्को को मूल्य-नियंत्रण के अंतगत लाया गया। पीपीई, एन-95 मास्कों, ट्रिपल/डबल प्लाई के मेडिकल मास्को, गॉगल्स और वीजस के नियात पर तब तक प्रतिबंध लगाया गया जब तक कि हम इनम आत्मनिभर नहीं हो गए।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और कद्र सरकार के संस्थानों को 3.44 करोड़ एन-95 मास्क, 1.41 करोड़ पीपीई किट और 10.84 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गोलियां प्रदान की गई।

[illegible]

पीएमजीकेपी: बीमा स्कीम के अनुसार कोविड-19 के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की संख्या						
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार सूची (11-09-2020 [illegible])						
क्र. [illegible]	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	अंडमान और निकोबार	1	0	0	0	1
2	आंध्र प्रदेश	5	5	1	1	12
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	1	0	0	4	5
5	बिहार	4	1	1	0	6
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	2	0	1	1	4
8	दिल्ली	3	0	0	5	8
9	गुजरात	5	6	2	1	14
10	हरियाणा	2	0	0	0	2
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	1
12	जम्मू और कश्मीर	2	0	0	1	3
13	झारखंड	2	2	1	1	6
14	कनाटक	2	0	1	1	4
15	केरल	0	0	0	1	1
16	मध्य प्रदेश	3	0	0	4	7
17	महाराष्ट्र	6	3	0	12	21
18	मिजोरम	0	0	0	2	2
19	ओडिशा	3	1	0	1	5
20	पंजाब	1	2	1	1	5
21	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	2	5	0	1	8
23	तमिलनाडु	5	3	0	2	10
24	तेलंगाना	3	0	3	1	7
25	उत्तर प्रदेश	8	0	0	1	9
26	पश्चिम बंगाल	4	4	2	4	14
	[illegible]	64	32	14	45	155

****